प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 27.06.2024

थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का 01 बैग रंग बादामी जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की टिकट की 05 गड्डी, 01 ड्यूटी कार्ड, 01 परिचालक वे बिल-एब्सट्रैक्ट फॉर्म, 04 परिचालक मार्ग पत्र व 800/ रुपये बरामद।

दिनांक 28.04.2024 को थाना लिंकरोड पर वादी श्री महाराम (संविदा परिचालक) पुत्र वालादीन निवासी ग्राम व पोस्ट थाना जहानगंज जिला फर्रूखाबाद की तहरीरी सूचना पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा गाड़ी कौशाम्बी डिपो न0-UP78FN7727 के संविदा परिचालक (वादी) का बैग जिसमें टिकट मशीन,टिकट गड्डी, मार्ग पत्र व 36,288/-रुपये चोरी कर लेने व दिनांक 26.05.2024 को वादी श्री मनोज कुमार सिंह पुत्र नरेन्द्र बहादुर सिंह (संविदा परिचालक) रायबरेली डिपों निवासी मखदूमपुर पूरे मोहन सिंह पो0 समरहदा जिला रायबरेली की तहरीरी सूचना पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी का टिकट बैग जिसमें ETM मशीन, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड व रायबरेली, साँगीपुर, कौशाम्बी जाने में टिकट बिक्री से प्राप्त 37,678/- रूपये चोरी कर ले जाने के संबंध में अज्ञात में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। घटना का अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया। मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान दिनांक 27.06.2024 को उक्त घटना में संलिप्त अभियुक्त वसीम अंसारी पुत्र हसीब अंसारी निवासी दोमोहना वार्ड नंबर 13 थाना मालगांव जिला अररिया बिहार उम्र 19 वर्ष को कौशाम्बी बस अड्डा गेट न0 2 के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से चोरी का 01 बैग रंग बादामी जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की टिकट की 05 गड्डी, 01 ड्यूटी कार्ड, 01 परिचालक वे बिल-एब्सट्रैक्ट फॉर्म, 04 परिचालक मार्ग पत्र व 800/ रुपये बरामद हुआ। अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण:</u> अभियुक्त उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैंने दिनांक 22.05.2024 को समय करीब 5:00 बजे बस में सोए हुए कंडक्टर का बैग चोरी किया था, जिसमें ETM मशीन टिकट की गड्डी, आधार व एटीएम कार्ड परिचालक मार्ग पत्र, ड्यूटी कार्ड, एक वे विल एब्स्ट्रेक्ट फॉर्म तथा 37,678/- रुपए थे व दिनांक 28.04.2024 को समय करीब 4:00 मैंने एक और बस से भी कंडक्टर का बैग चोरी किया था जिसमे टिकट मशीन, टिकट गड्डी, परिचालक मार्क पत्र, 36288 रुपए नगद थे। चोरी किये गये बैगों से प्राप्त रुपए मैंने अपने पास रख लिए थे व सामान को राह चलते व्यक्तियों को सस्ते दामों पर बेच देता। मैं कौशाम्बी बस अड्डे पर घुमफिरकर सोए हुए कंडक्टर का बैग चोरी कर लेता हूँ तथा इसी से अपना व अपने परिवार का गुजारा करता हूँ।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-</u>

वसीम अंसारी पुत्र हसीब अंसारी निवासी दोमोहना वार्ड नंबर 13 थाना मालगांव जिला अररिया बिहार उम्र 19 वर्ष।

<u>बरामदगी का विवरण:</u>

- चोरी का 01 बैग रंग बादामी जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की टिकट की 05 गड्डी, 01 ड्यूटी कार्ड, 01 परिचालक वे बिल-एब्सट्रैक्ट फॉर्म, 04 परिचालक मार्ग पत्र व 800/ रुपये बरामद।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः
अभियुक्त उपरोक्त के विरुध्द थाना लिंकरोड पर चोरी के 02 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीमः
थाना लिंकरोड पुलिस टीम

थाना निवाडी पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित जिला बदर सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 21/22.06.2024 की रात्रि में थाना निवाडी पर सूचना प्राप्त हुई की जंगल ग्राम खिंदौडा में खेत में पानी चलाने के विवाद को लेकर तीन व्यक्तियों को गोली मार दी गयी है जिसमें से दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी तथा 01 व्यक्ति को गम्भीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राप्त सूचना के आधार पर थाना निवाडी पुलिस द्वारा उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में उच्चाधिकारियों को अवगत कराकर तत्काल घटनास्थल पर पहुँचा गया तथा फील्ड यूनिट टीम व डॉग स्कवायड टीम को बुलाकर घटनास्थल का निरीक्षण कराया गया व शवों के पंचायतनामा की कार्यवाही कर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। उच्चाधिकारीगणों द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा दिनांक 22.06.2024 को थाना निवाडी पर वादी बिलाल पुत्र मान निवासी ग्राम रसूलपुर धोलडी थाना जानी मेरठ ने तहरीर दी जिसके आधार पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतू टीमों का गठन किया गया तथा तत्पश्चात दिनांक 22.06.2024 को ही घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्तों बिट्टू, दीपक व सुधीर नि0गण ग्राम खिंदौडा को गिरफ्तार कर अभियुक्त दीपक की निशादेही पर आलाकत्ल 01 अवैध पिस्टल व 01 जिंदा कारतूस बरामद किया गया तथा अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

आज दिनांक 27.06.2024 को थाना निवाडी पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर उक्त अभियोग में वांछित जिलाबदर अभियुक्त मोहित उर्फ बादशाह पुत्र सुशील निवासी ग्राम खिंदौडा थाना निवाडी गाजियाबाद व उसका साथी लवली पुत्र संजीव नि0ग्राम खिंदौडा थाना निवाडी गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण - पूछताछ के दौरान अभियुक्त मोहित उर्फ बादशाह ने बताया कि हमारे गांव के सुधीर व उसके पुत्र दीपक व बिट्टू का मृतक पप्पू व उसके लडकों से खेत में पानी लगाने को लेकर झगडा हो गया था इसी बात को लेकर विपक्षी ने उन्हे यह धमकी दी थी कि तुम लोग कल सुबह का सूरज नही देख पाओगें। जब ये बात सुधीर व उसके पुत्रों ने हमें बतायी तो हमने सुधीर से कहा कि आप चिंता मत करों ये लोग खुद ही कल का सूरज नही देख पायेगें। उसके बाद हमनें अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से पप्पू व उसके लडको पर गोलिया चलायी थी जिसमें पप्पू व उसका एक लडका मर गया तथा एक घायल होकर वहां से भाग गया था। पप्पू व उसके दूसरे लडके के शव एवं उनकी मोटर साइकिल को छिपाने के लिये हमने रजवाहा/ बम्बा में फैंक दिया था, जिस पिस्टल से मैने गोली चलाई थी वह मैने दीपक पुत्र कांति नि0 ग्राम खिंदौडा थाना निवाडी को दे दी थी।

दिनांक 18.04.2024 को माननीय न्यायालय अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा अभियुक्त मोहित उर्फ बादशाह को 06 माह के लिये जिला बदर किया गया था। गिरफ्तार जिलाबदर अभियुक्त के विरुद्ध 3/10 गुण्डा अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1. मोहित उर्फ बादशाह पुत्र सुशील निवासी ग्राम खिंदौडा थाना निवाडी गाजियाबाद, उम्र करीब 24 वर्ष
2. लवली पुत्र संजीव नि0ग्राम खिंदौडा थाना निवाडी गाजियाबाद, उम्र करीब 30 वर्ष,

<u>अपराधिक इतिहास</u>

अभियुक्त मोहित उर्फ बादशाह के विरुद्ध थाना निवाडी पर हत्या, मारपीट, चोरी व आर्म्स एक्ट के 05 अभियोग पंजीकृत है तथा अभियुक्त के विरुद्ध 3/10 गुण्डा अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम</u>:-

थाना निवाडी पुलिस टीम।

थाना वेव सिटी पुलिस द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाले 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया तथा इसके साथी बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया, कब्जे से चोरी की ई-रिक्शा, 02 बैट्री व संदिग्ध चोरी की मोटरसाइकिल बरामद।

थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 27.06.2024 को चेकिंग के दौरान चोरी की घटना कारित करने वाले अभियुक्त मुकर्रम पुत्र असलम उम्र लगभग 20 वर्ष निवासी गली वाली मस्जिद डासना थाना वेव सिटी गाजियाबाद को गिरफ्तार किया व इसके साथी बाल अपचारी उम्र लगभग 15 वर्ष को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। इनके कब्जे से चोरी का एक ई-रिक्शा लोडर बोडी/चेसिस, ई- रिक्शा की 02 बैट्री व संदिग्ध चोरी की एक मोटरसाइकिल स्पेलन्डर प्रो (सिल्वर रंग) बरामद हुई। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण</u>:- पूछताछ पर अभियुक्त मुकर्रम व बाल अपचारी ने बताया कि हम दोनों से जो चोरी की एक ई-रिक्शा लोडर बोडी/चेसिस व ई रिक्शा की 02 बैट्री मिली है वह हम दोनो ने कुछ दिन पहले गाजियाबाद में लगने वाली हाट से चोरी किया था। हम ई- रिक्शा लोडर का लॉक तोड़कर ले आये थे। जिसके पिछले 02 पहिये व 02 बैट्री को राह चलते व्यक्ति को बेच दिए थे तथा ये ई रिक्शा की बची दो बैट्री और ई- रिक्शा लोडर की बोडी को हम दोनो ने काजीपुरा के पास जंगल मे छिपा दिया था, आज हम दो बैट्री और ई- रिक्शा लोडर की बोडी को लेने के लिए आये थे, जिनको लेकर हम गाजियाबाद बेचने के लिए जाना था और जो एक मोटरसाईकिल स्पेलन्डर प्रो (सिल्वर रंग) हमसे मिली है। वह मोटर साईकिल धौलाना के रास्ते पर खड़ी थी। हम दोनो चोरी कर ले आए थे।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता</u>

मुकर्रम पुत्र असलम उम्र लगभग 20 वर्ष निवासी गली वाली मस्जिद डासना थाना वेव सिटी गाजियाबाद

<u>अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग</u>

1. चोरी के ई रिक्शा के संबंध में कोतवाली घंटाघर गाजियाबाद पर 01 अभियोग पंजीकृत है।
2. चोरी के माल बरामदगी के संबंध में थाना वेव सिटी पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है।

<u>बरामदगी का विवरण</u>

1.संदिग्ध चोरी की एक मोटरसाइकिल स्पेलन्डर प्रो (सिल्वर रंग)

2.चोरी का एक ई-रिक्शा लोडर बोडी/चेसिस व ई- रिक्शा की 02 बैट्री बरामद।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम

थाना वेव सिटी पुलिस टीम

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा चोरी की घटनाएं कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का सामान समरसेबिल मोटर, ड्रिल मशीन, ग्राईन्डर, छोटी मोटर, 02 गैस सिलेण्डर, सीलिंग फैन तथा घटना में प्रयुक्त वाहन बरामद ।

दिनांक 28.05.2024 को थाना मुरादनगर पर एक वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि अज्ञात चोर द्वारा ग्राम रावली में स्थित कम्पनी से छोटी मोटर, समरसेबिल मोटर, ड्रील मशीन, आक्सीजन सिलेन्डर, एल.पी.जी सिलेन्डर आदि सामान चोरी कर लिया गया है तथा दिनांक 10.06.2024 को एक वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि अज्ञात चोर द्वारा ग्राम रावली कला स्थित ट्यूबबैल से सीलिंग फैन व स्टार्टर से तांबा चोरी कर लिया गया है । उपरोक्त तहरीर पर थाना मुरादनगर पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किये गये तथा घटना के शीघ्र अनावरण हेतु टीम गठित की गयी ।

तत्पश्चात दिनांक 26-06-2024 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटनाओं का अनावरण करते हुए, उक्त घटनाओं को कारित करने वाले 02 अभियुक्तों 1.मुस्तकीम अब्बासी उम्र करीब 28 वर्ष पुत्र हसीन अहमद नि0-मं0नं0 J-176 गली नं0-04 सुंदर नगरी नंद नगरी दिल्ली 2.इमरान उम्र करीब 25 वर्ष पुत्र बाबू नि0 ग्राम गौना थाना चाँदीनगर जिला बागपत को हिण्डन नदी के पुल के पास सुराना-ललियाना रोड से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से चोरी किया गया सामान एक समरसेविल मोटर, एक ड्रिल मशीन बाँस कम्पनी, एक ग्राईन्डर, एक छोटी मोटर, 02 घरेलू रसोई सिलेण्डर इण्डेन कम्पनी, एक सिलिंग फैन तथा घटना में प्रयुक्त वाहन टाटा ACE (छोटा हाथी) रजि0 नं0 DL1LAJ3898 बरामद किए गए। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

पूछताछ के दौरान दोनों अभियुक्तों ने बताया कि हम दोनों ने अपने साथियों शमसाद व शहजाद उर्फ चीता के साथ मिलकर चारों ने लगभग एक महीने पहले रात को मौका पाकर मिलक रावली में बनी फैक्ट्री से मोटर, समरसेबिल, लोहे की चादर के टुकडे, एंगल, घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर, ड्रिल मशीन, ग्राईन्डर व अन्य लोहे का सामान चोरी किया था। जिसको हम इसी वाहन टाटा ACE (छोटे हाथी) में भरकर ले गये थे। चोरी के सामान को हमने कई कबाड़ियों की दुकान पर ले जाकर बेचने की कोशिश की परन्तु सभी ने सामान को देखकर खरीदने से मना कर दिया। तब से हम अपनी जरूरत के अनुसार थोड़ा थोड़ा करके माल चलते फिरते कबाड़ियों को बेच देते थे तथा सीलिंग फैन के बारे में पूछताछ की गई तो मुस्तकीम व इमरान ने पूछने पर बताया कि यह सीलिंग फैन हम दोनो व हमारे साथी शमसाद तीनो ने मिलकर लगभग 10-15 दिन पहले रावली रोड पर स्थित पैट्रोल पम्प के पीछे रास्ते पर बने ट्यूबेल के अन्दर से चुराया था। उसी रात को हमने स्टार्टर से ताँबे का सामान चोरी किया था। तार को पिघलाकर ताँबा निकालकर हमने राह चलते कबाड़ी को बेच दिया था तथा पैसे आपस में बराबर बराबर बाँट लिये थे। जो पैसे हमने खाने पीने खर्च कर दिये।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम/पता

1.मुस्तकीम अब्बासी उम्र करीब 28 वर्ष पुत्र हसीन अहमद नि0-मं0नं0 J-176 गली नं0-04 सुंदर नगरी नंद नगरी दिल्ली

2.इमरान उम्र करीब 25 वर्ष पुत्र बाबू नि0 ग्राम गौना थाना चाँदीनगर जिला बागपत

वांछित अभियुक्तों का नाम/पता

1.शमशाद पुत्र दिलदार निवासी गाँव रावली कला थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 45 वर्ष

2.शहजाद उर्फ चीता पुत्र अमीरू निवासी खेकड़ा जनपद बागपत उम्र करीब 28 वर्ष

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त मुस्तकीम अब्बासी के विरुद्ध थाना मुरादनगर पर चोरी के 02 अभियोग पंजीकृत हैं तथा अभियुक्त इमरान के विरुद्ध जनपद बागपत में चोरी का 01 अभियोग व आर्म्स एक्ट के 02 अभियोग तथा थाना मुरादनगर पर चोरी के 02 अभियोग पंजीकृत है, कुल पंजीकृत अभियोग 05

बरामदगी का विवरण

चोरी किया गया 01 समरसेविल मोटर, 01 ड्रिल मशीन बाँस कम्पनी, 01 ग्राईन्डर, 01 छोटी मोटर, 02 घरेलू रसोई सिलेण्डर इण्डेन कम्पनी, 01 सिलिंग फैन तथा घटना में प्रयुक्त वाहन टाटा ACE (छोटा हाथी) रजि0 नं0 DL1LAJ3898 बरामद।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम

थाना मुरादनगर पुलिस टीम

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त वैगनआर कार बरामद।

दिनांक 22.06.2024 को थाना ट्रोनिका सिटी पर वादी रवि पुत्र चन्द्रभान निवासी जीवन धाम मंदिर के पास ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद के द्वारा अपने पिता की गुमशुदगी दर्ज करायी गयी थी व जाँच के दौरान दिनांक 26.06.2024 पाया गया कि एक अज्ञात शव हरियाणा क्षेत्र में मिला जिसकी शिनाख्त वादी के द्वारा पिता के रुप में की गयी। उपरोक्त प्रकरण के संदर्भ में आज दिनांक 27.06.2024 को थाना ट्रोनिका सिटी पर वादी रवि पुत्र चन्द्रभान द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त 1. फारूख 2.शाहरूख 3. आदिल मिस्त्री द्वारा एक साथ मिलकर मेरे पिता चन्द्रभान की हत्या कर शव को थाना कुण्डली क्षेत्र सोनीपत हरियाणा में फैंका गया है। जिसके सम्बन्ध में तत्काल थाना ट्रोनिका सिटी पर अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम लगाई गईं।

तत्पश्चात आज दिनांक 27-06-2024 को ही थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तों 1.फारूख पुत्र मौ0 इस्लाम उम्र 30 वर्ष 2.शाहरूख पुत्र मौ0 इस्लाम उम्र 32 वर्ष निवासी बुद्ध बाजार पूजा कालोनी थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद व मूल पता म0नं0 386 झाडी बाबा का पढाव थाना कैन्ट छावनी जिला कानपुर को खानपुर मोड रामपार्क ट्रोनिका सिटी से गिरफ्तार किया गया तथा वांछित अभियुक्त आदिल मिस्त्री की गिरफ्तारी हेतु टीम लगी हुई है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्त फारूख ने बताया कि मैं और मेरा भाई शाहरुख मृतक चन्द्रभान की इसी गाडी को चलाते थे, दिनांक 21.06.2024 को समय करीब 11.00 बजे दिन के आसपास मैं चन्द्रभान के घर आया, उसको घर से वैगन आर कार में बैठाकर कार को सही कराने के लिए निकले तथा मण्डोला सीएनजी पम्प से गैस भरवाकर लोनी की तरफ आये, हमने गाड़ी में ही शराब पी और आदिल मिस्त्री को कार में काम कराने के लिए फोन करके बुलाया, उसके बाद हम तीनों गाड़ी से ही गढी कटैया गये तथा शराब ली और फिर मैने शाहरूख को फोन करके बुलाया और हम सभी चारों फारूख, शाहरूख, आदिल मिस्त्री व चन्द्रभान ने गाड़ी में बैठकर शराब पी तथा शराब पीते-पीते आदिल और चन्द्रभान की गाड़ी को ठीक कराने को लेकर बहस होने लगी। आपस में बातचीत के समय चन्द्रभान ने हम तीनों फारूख, शाहरूख, आदिल मिस्त्री से कहा कि तुम तीनों तो सुअर का मीट भी खा लेते हो। इसी बात को लेकर हम तीनों की चन्द्रभान से गाली गलौज व कहासुनी होने लगी व हमने गाली-गलौच करते हुये उसे जाति सूचक शब्द कहने लगे और कहा कि हम सूअर का मीट नहीं खाते हैं यह हमारे धर्म में ये जायज नहीं है। आज तुझे हम शबक सिखा देंगे। रास्ते में ही हम तीनों ने सूअर का मीट खाने की बात को लेकर चन्द्रभान को गाड़ी में ही मारना पीटना शुरू कर दिया जिससे चन्द्रभान की सांसे रूक गयी थी और वह मर गया था। हम डर गये थे, इसके बाद हम कुण्डली बार्डर होते हुए हरियाणा की तरफ चल दिये, जखोली टोल प्लाजा से कुछ दूर पहले हमने चन्द्रभान की डैड बाडी को पैरिफैरल हाईवे से नीचे फैंक दिया था और चन्द्रभान का फोन अलीपुर से पहले भलस्वा डेरी कुडा अड्डा मे फैंक दिया था। मैं फारूख, आदिल व शाहरूख वापस आ गये थे। आदिल को मैने राशिद गेट पर उतार दिया और गाडी मैने अपने गेट के पास खडी कर दी थी। हम दोनो भाई अपने घर चले गये थे। चन्द्रभान के घर वाले रात को चन्द्रभान के बारे में पूछने आये तो मैने उन्हे झूठ बोल दिया था कि चन्द्रभान को हमने 01.30 बजे पूजा कालोनी टावर के पास उतार दिया था। अगले दिन 22.06.2024 को मैं और शाहरूख गाडी लेकर 10.00 बजे निकले व रास्ते मे आदिल मिला, हम तीनो ने रास्ते मे शराब पी और जीरो पुस्ता दिल्ली सीएनजी पम्प के आगे मृतक की गाड़ी छोडकर घर आ गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम/पता

1.फारूख पुत्र मौ0 इस्लाम उम्र 30 वर्ष नि0 बुद्ध बाजार पूजा कालोनी थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद व मूल पता म0नं0 386 झाडी बाबा का पढाव थाना कैन्ट छावनी जिला कानपुर

2.शाहरूख पुत्र मौ0 इस्लाम उम्र 32 वर्ष नि0 बुद्ध बाजार पूजा कालोनी थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद व मूल पता म0नं0 386 झाडी बाबा का पढाव थाना कैन्ट छावनी जिला कानपुर

बरामदगी का विवरण

घटना में प्रयुक्त मृतक की कार मारुति वैगन आर कार रजि0 नं0 UP14 FT 0341 बरामद।

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

उपरोक्त घटना के संबंध में थाना ट्रोनिका सिटी पर 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा वाहन चोरी करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से मोटरसाइकिल व फर्जी नंबर प्लेट बरामद ।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 27.06.2024 को चेकिंग के दौरान बेहटा नहर पुलिया के पास से वाहन चोरी करने वाले 03 अभियुक्त 1. समीर उर्फ साहिल पुत्र साबिर नि0 राजीव गार्डन गली नं0 2 निकट शमशान घाट थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष 2. निशू पुत्र शैलेन्द्र नि0 नाला रोड़ संदीप मैरीज होम वाली गली थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष 3. शाहरून पुत्र शौकीन नि0 झण्ड़ा चौक निकट शमशान घाट थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल रजि0 नम्बर DL13SG8470 व फर्जी नंबर प्लेट बरामद हुई । बरामद मोटरसाइकिल के संबंध में दिल्ली में 01 अभियोग पंजीकृत है । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण - पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने बताया कि यह मोटरसाइकिल हमने करीब 04 माह पूर्व, दयालपुर मैन रोड़ दिल्ली से चोरी की थी। पहचान छुपाने के लिए नंबर प्लेट बदल ली थी । मौका देखकर हम इसी मोटरसाइकिल से चलते फिरते चोरी करते है । हम मोटरसाइकिल से चोरी करने के इरादे से बाहर निकले थे कि चेकिंग में पकड़े गए।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम/पता

1.समीर उर्फ साहिल पुत्र साबिर नि0 राजीव गार्डन गली नं0 2 निकट शमशान घाट थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष

2.निशू पुत्र शैलेन्द्र नि0 नाला रोड़ संदीप मैरीज होम वाली गली थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष

3.शाहरून पुत्र शौकीन नि0 झण्ड़ा चौक निकट शमशान घाट थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष

बरामदगी का विवरण

चोरी की 01 मोटरसाइकिल रजि0 नम्बर DL13SG8470 व फर्जी नंबर प्लेट बरामद ।

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

चोरी की मोटरसाइकिल के संबंध में दिल्ली में 01 अभियोग पंजीकृत है। (CRIME BRANCH DELHI में ई FIR नं0 000756) तथा थाना लोनी बॉर्डर पर चोरी की मोटरसाइकिल बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्तों के विरुद्ध 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम

थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा अवैध शस्त्र के साथ वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 25-06-2024 को थाना मोदीनगर पर वादी तरुण कुमार उर्फ बन्टी द्वारा तहरीर दी कि अभियुक्त 1-राहुल,2-अमित 3- नीरज पुत्रगण पदमसिंह निवासी सीकरी खुर्द थाना मोदीनगर गाजियाबाद द्वारा गाड़ी खड़ी करने को लेकर कहासुनी में हाथ में अवैध शस्त्र लेकर हमारे घर में घुसकर मारपीट करना व जान से मारने की धमकी देना। जिसके संबंध में तत्काल थाना मोदीनगर पर सुंसगत धाराओ में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 26.06.2024 को मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त राहुल पुत्र पदम सिंह निवासी ग्राम सीकरी खुर्द, थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र 34 वर्ष को घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि पड़ोसी से गाड़ी खड़ी करने को लेकर कहासुनी होने के कारण आवेश में आकर पड़ोसी के घर में घुस कर गाली-गलौच तथा बाहर निकलकर गली में आकर अवैध तमंचा से एक हवाई फायरिंग कर दी गई थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

राहुल पुत्र पदम सिंह निवासी ग्राम सीकरी खुर्द,थाना मोदीनगर गाजियाबाद, उम्र 34 वर्ष

बरामदगी का विवरण

घटना में प्रयुक्त अवैध एक तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस बरामद।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

थाना मोदीनगर पुलिस टीम